



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 124528

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत अर्जी संख्या - 18928 वर्ष 2026

विशाल उर्फ विशाल सागर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : बलराम सिंह, रवींद्र बहादुर सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. मैंने आवेदक के अधिवक्ता श्री रवींद्र बहादुर सिंह और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-I श्री झम्मन राम की बातें सुनीं और रिकॉर्ड देखा। पुलिस द्वारा 15.05.2026 को नोटिस भेजे जाने के बावजूद, शिकायतकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह ज़मानत अर्जी मुकदमा अपराध संख्या 99/2026 (बी.एन.एस. की धारा 65(1), 123, 127(2), 333 और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4(2) के तहत; थाना मेडिकल, ज़िला मेरठ) में विचारण चलने के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की मांग के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि एफ.आई.आर. दर्ज कराने में दो दिन की देरी हुई है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों में विरोधाभास हैं। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि पीड़िता ने स्वीकार किया है कि वह पिछले एक महीने से आवेदक के साथ रिश्ते में थी और आवेदक को इस मामले में पीड़िता के माता-पिता के कहने पर झूठा फंसाया गया है, क्योंकि उन्हें आवेदक और पीड़िता के बीच के रिश्ते के बारे में पता चल गया था।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट से भी ऊपर बताए गए आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि इस मामले में चार्ज-शीट दाखिल की जा चुकी है, इसलिए कस्टडी में पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और 07.03.2026 से जेल में बंद है। अगर उसे ज़मानत मिल जाती है, तो वह

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने ज़मानत की अर्ज़ी का ज़ोरदार विरोध किया, लेकिन ऊपर बताए गए तथ्यों को चुनौती नहीं दे सके।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, सबूतों और आरोपी की भूमिका पर विचार करते हुए; साथ ही जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में आपराधिक मामलों के भारी बोझ को ध्यान में रखते हुए; और **कपिल वाधवान बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** मामले में सुप्रीम न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765)** मामले में ज़मानत देने के संबंध में इस न्यायालय की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना—मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पाने का हकदार है। इसलिए, यह अर्ज़ी **मंज़ूर** की जाती है।

7. ऊपर बताए गए अपराध में शामिल आवेदक - **विशाल उर्फ विशाल सागर** - को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदार पेश करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- i. आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके, और न ही वह सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।
 - ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से विचारण/जांच में सहयोग करेगा।
 - iii. ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।
 - iv. आवेदक अपने द्वारा भरे गए बॉन्ड की शर्तों के अनुसार पेश होगा।
8. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।
9. बॉन्ड स्वीकार करने से पहले, संबंधित न्यायालय को आवेदक और ज़मानत देने वालों की पहचान, स्थिति और पते के सबूत की पुष्टि करनी चाहिए।
10. संबंधित न्यायालय को आवेदक और ज़मानत देने वालों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की भी पुष्टि करनी चाहिए।
11. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय को 'बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम' (बीओएमएस) के ज़रिए संबंधित जेल में रिहाई का आदेश भेजना चाहिए।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. ऑफिस को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक कॉपी 24 घंटे के अंदर आवेदक को मेरठ के जेल सुपरिंटेंडेंट के ज़रिए ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल पर और विचारण न्यायालय को ई-मोड से भेजे। यह आदेश 'बेल देने की नीतिगत रणनीति' (इन रे: सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या 4/2021, फैसला 31.01.2023, रिपोर्टेड (2024) 10 एससीसी 685) और 'पीला पाहन @ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य' (रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या 169/2025, फैसला 29.05.2026) के मामलों में सुप्रीम न्यायालय के आदेश के पालन में दिया जा रहा है।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

1 जून, 2026

एसए

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।